

न्यायालय-श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2023

कबीरधाम दिनांक-02.09.2023

में श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन/ रिमांड के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माह सितम्बर 2023 में घोषित सार्वजनिक अवकाश अवधि में जिला मुख्यालय कबीरधाम एवं बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. में अत्यावश्यक/रिमांड कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार आदेशित करती हूं :-

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित करने का दिनांक
1.	श्री ओमप्रकाश साहू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम	03.09.2023, 09.09.2023, 24.09.2023 एवं 28.09.2023,
2.	श्री सुबोध मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम	06.09.2023, 10.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023 एवं 19.09.2023

टीप:- माह सितम्बर 2023 में घोषित शासकीय अवकाश में बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. के रिमाण्ड कार्य का निष्पादन पंडरिया में पदस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

दिनांक-02.09.2023

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

प्रतिलिपी:-

5d/-
(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम (छ.ग.)

1. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्याया. कबीरधाम।
2. श्री ओमप्रकाश साहू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम।
3. श्री सुबोध मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम।
4. कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया, जिला-कबीरधाम।
5. कु.पूजा मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कवर्धा, जिला कबीरधाम को प्रत्येक रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम छ.ग.।
7. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, कबीरधाम
छ.ग. को जिला न्यायालय के वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ कबीरधाम, जिला-कबीरधाम।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5
(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम (छ.ग.)